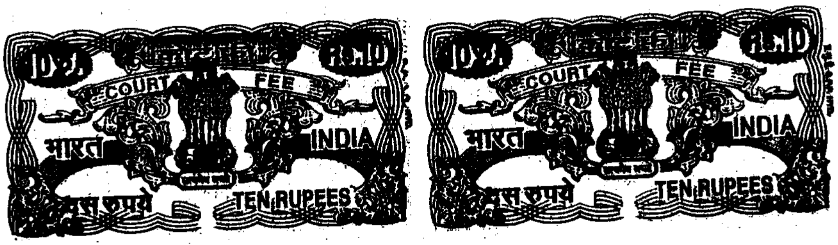

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्र. /2016–17 निगरानी R 1525-PB-17

श्रवणसिंह पिता नारायणसिंह, आयु–64,
धंधा–कृषि, निवासी– 249/2 गर्वमेन्ट कॉलोनी
नागदा ....प्रार्थी

----विरूद्ध----

1. ग्रेसिम इण्डस्ट्रीज बिरलाग्राम नागदा द्वारा
   सहायक महाप्रबंधक साबरमल,
   निवासी– बिरलाग्राम नागदा जिला उज्जैन
2. मध्यप्रदेश शासन आदि ....प्रतिप्रार्थीगण

विषय– अधिनस्थ न्यायालय अपर राजस्व आयुक्त महोदय उज्जैन संभाग उज्जैन के प्रकरण क्रमांक 577/2014–15 अपील में पारित आदेश दिनांक 24–04–2017 के पुनरीक्षण हेतु निगरानी याचिका धारा 50 मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता के अन्तर्गत।

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 1525-पीबीआर/17 जिला **उज्जैन**

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषक आदि के हस्ताक्षर
19-5-2017	आवेदक अधिवक्ता श्री आलोक शास्त्री उपस्थित । उन्हें ग्राह्यता पर सुना गया । आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश दिनांक 24-4-2017की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । अपर आयुक्त द्वारा आवेदक का आवेदन पत्र इस निष्कर्ष के साथ निरस्त किया गया है कि जिस भूमि पर उसके द्वारा नामान्तरण चाहा गया है वह महादेव चबूतरा मिल्कियत सरकार व्यवस्थापक कलेक्टर जिला उज्जैन के नाम दर्ज है जिसमें आवेदक का कोई हित नहीं है,जिसमें प्रथमदृष्टया कोई त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है। अतः यह निगरानी आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है । **(मनोज गोयल)** **अध्यक्ष**	